

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
08/03/2021	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद सं० 161/2011 रविन्द्र कच्छप के द्वारा अजय वर्मा एवं नामिता कच्छप के विरुद्ध दायर किया गया था जिसमें एस०ए०आर० अपील संख्या 129R15/2008-09 में उपायुक्त, राँची के न्यायालय द्वारा भूमि वापसी के आदेश में किये गये संशोधन को चुनौती दी गई थी। प्रश्नगत वाद में खाता नं०-100, प्लॉट नं०-1541, रकवा-10 कट्ठा, मौजा-हिनु में अवस्थित भूमि सन्निहित है। एस०ए०आर० न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि में आवेदक रविन्द्र कच्छप के पक्ष में भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया था। उपायुक्त के न्यायालय में विपक्षी अजय वर्मा द्वारा अपील दायर की गई जिसमें उपायुक्त द्वारा रविन्द्र कच्छप के स्थान पर नामिता कच्छप के पक्ष में भूमि वापसी को आदेश पारित किया गया उभय पक्षों के द्वारा दायर किये गये कागजात तथा अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मूलतः बिजला उरांव के नाम से दर्ज थी जिसे विपक्षी अजय वर्मा के द्वारा कथित सादा पट्टा के माध्यम से 1966 में प्राप्त कर लिया गया यह हस्तांतरण स्पष्टतः धारा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। आवेदक रविन्द्र कच्छप द्वारा एस०ए०आर० न्यायालय में प्रश्नगत भूमि के वापसी का दावा किया गया जिसे एस०ए०आर० न्यायालय द्वारा मान्य किया गया। आवेदक रविन्द्र कच्छप अन्य खतियानी रैयत कोलहा उरांव के वंशज है जबकि नामिता कच्छप बिजला उरांव के वंशावली से आते हैं। उभय पक्षों के बीच 2006 में भूमि का बटवारा हो चुका है जिसके अनुसार नामिता कच्छप के हिस्से में प्रश्नगत भूमि आई है।</p> <p>सुनवाई के दौरान रविन्द्र कच्छप के तरफ से कहा गया है कि विपक्षी अजय वर्मा के विरुद्ध एस०ए०आर० न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के पश्चात् उक्त भूमि की दखल दाहिनी उनके पक्ष में की जा चुकी है। विपक्षी नामित कच्छप के तरफ से कहा गया है कि या उनकी पुस्तैनी भूमि है तथा 2006 में पारिवारिक बटवारा के माध्यम से उनके हिस्से में आई है। आवेदक रविन्द्र कच्छप सम्पूर्ण भूमि को अपने कब्जे लेना चाहते हैं जो अनुचित है।</p> <p style="text-align: center;"><i>WVW</i></p>	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>अजय वर्मा के तरफ से प्रश्नगत वादों में कोई उपस्थिति नहीं हुई है। सभवतः क्योंकि भूमि की दखल दाहिनी हो चुकी है इसलिए उनके तरफ से प्रश्नगत वाद में कोई पैरवी नहीं की जा रही है। अतः उपस्थित पक्षकारों को सुनते हुए आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी रैयत की भूमि है जिसे अवैध तरीके से विपक्षी क्रमांक 01 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। एस०ए०आर० न्यायालय द्वारा वाद संख्या 109/2007-08 में प्रश्नगत भूमि के वापसी हेतु रविन्द्र कच्छप के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उपायुक्त के न्यायालय में सम्पूर्ण विवेचना करते हुए वर्ष 2006 में हुए परिवारिक बटवारा को आधार बनाते हुए प्रश्नगत भूमि को विपक्षी क्रमांक 02 नामिता कच्छप के पक्ष में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी अजय वर्मा का दावा विधिसम्पत् नहीं है तथा उनके पिता द्वारा अवैध तरीके से आदिवासी भूमि को प्राप्त किया गया था। अतः भू-वापसी का आदेश पूर्णतः नियम संगत है। भू-वापसी हेतु एस०ए०आर० न्यायालय में रविन्द्र कच्छप के द्वारा दावा किया गया था जबकि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के अन्य वंशज भी हिस्सेदार थे। इस बिन्दु पर संतुष्ट होने पर उपायुक्त न्यायालय द्वारा भूमि वापसी का आदेश बरकारार रखते हुए उसमें संशोधन का आदेश पारित किया गया। स्पष्टतः प्रश्नगत मामले में पुनरीक्षण का कोई बिन्दु सन्निहित नहीं है एवं उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने के आवश्यकता नहीं है। वर्णित परिस्थिति में यह पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p><i>W. K. ...</i> आयुक्त</p> <p><i>W. K. ...</i> आयुक्त</p>	